



स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70



ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक: 18/08/2025

सेवा में,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लॉट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

विषय: दिनांक 12/08/2025 को अपराह्न 02:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 12/08/2025 को अपराह्न 02:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,


(किरण मोहन मोहाडीकर)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ


उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 12/08/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 12/08/2025 को अपराह्न 02:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री दुर्गेश, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
4. श्री किशन सिंह, एईई, यूपीपीसीबी, नौएडा।
5. श्री विवेक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) प्रमोद कुमार, स्टेनो-1 और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

(1) दिनांक 28/07/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 28/07/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 28/07/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) महर्षि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त वस्तुओं का समावेश।

2.1 इकाई के सहायक महाप्रबंधक-निर्यात श्री सौरभ गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त व्यापारिक मदों को शामिल करने के इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(3) क्लिफ स्कैफोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और व्यापार की एकमुश्त अनुमति का अनुसमर्थन।

3.1 इकाई के निदेशक श्री निखिल सिंगला अनुमोदन समिति की बैठक में आभासी रूप से शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। समिति ने इस कार्यालय के दिनांक 04.07.2025 के पत्र द्वारा दी गई व्यापार (आयात और निर्यात) की एकमुश्त अनुमति का भी अनुसमर्थन किया। इसके अलावा, समिति ने इकाई को कार्यसूची के अनुसार दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(4) इंटर्रा इन्फोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - निदेशकों का परिवर्तन और कार्यनिष्पादन की निगरानी।

4.1 इकाई के निदेशक श्री नवीन गुप्ता अनुमोदन समिति की बैठक में आभासी रूप से शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार इकाई के निदेशक में परिवर्तन पर ध्यान दिया।

4.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के कार्यनिष्पादन की भी निगरानी की और 31/03/2025 तक की अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि का उल्लेख किया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR)) के अनुसार, कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई थी। इसके अलावा, समिति ने इकाई को वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में दर्शाए अनुसार 71.48 लाख रुपये की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) सेवाओं की बिक्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, कि क्या ऐसी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के संबंध में भुगतान भारतीय रुपये या विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुआ था।

(5) इंटर्रा इन्फॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड - निदेशकों का परिवर्तन और कार्यनिष्पादन की निगरानी।

5.1 इकाई के निदेशक श्री नवीन गुप्ता अनुमोदन समिति की बैठक में आभासी रूप से शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार इकाई के निदेशक में परिवर्तन पर ध्यान दिया।

5.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के कार्यनिष्पादन की भी निगरानी की और 31/03/2025 तक की अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि का उल्लेख किया।





अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के अनुसार कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई थी।

(6) नोवेन्टीक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कार्य निष्पादन की निगरानी और स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

6.1 इकाई के लेखा अधिकारी श्री गुरमीत सिंह बत्रा अनुमोदन समिति की बैठक में आभासी रूप से शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए वार्षिक वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR)) में इकाई ने एसईजेड नियम 53(ए)(एच) के तहत एसईजेड से एसईजेड को 251226.26 लाख रुपये की आपूर्ति दिखाई थी। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि उपरोक्त अवधि के दौरान इकाई ने भारतीय रुपये में भुगतान के बदले घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में 677.40 लाख रुपये की सेवाएं प्रदान की हैं। समिति ने पाया कि भारतीय रुपये में भुगतान के बदले विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को सेवाओं की आपूर्ति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड)(iii) के प्रावधानों का उल्लंघन है। इकाई के प्रतिनिधि ने बताया कि वे आरबीआई परिपत्र के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को आपूर्ति भारतीय रुपये में कर रहे हैं।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीकरण और निगरानी के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई को निर्देश दिया कि वे निम्नलिखित प्रस्तुत करें: i) सेवाओं की आपूर्ति के बदले भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान की कुल राशि (विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)); ii) विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान के बदले भारतीय रुपये में सेवाओं की आपूर्ति के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) करने के कारण; iii) भारतीय रुपये में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को सेवाओं की आपूर्ति की अनुमति देने वाले आरबीआई के प्रासंगिक सहायक दस्तावेज/परिपत्र; और iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) को ऑनलाइन दाखिल न करने के कारण।

(7) फर्स्टआइडिया - कार्यनिष्पादन की निगरानी।

7.1 समिति को सूचित किया गया कि सीबीआई, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 21.07.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि सीबीआई/ईओ-III/नई दिल्ली ने मेसर्स फर्स्टआइडिया द्वारा नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में कॉल सेंटर के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क चलाने के आरोपों पर इकाई के खिलाफ सीबीआई मामला दर्ज किया था और 07.07.2025 को मेसर्स फर्स्टआइडिया, एसडीएफ संख्या सी-06(ए), नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नौएडा के कार्यालय परिसर में धारा 96 बीएनएसएस के तहत तलाशी ली थी। इसके अलावा, सीबीआई ने अपने एक अन्य पत्र दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से इकाई से संबंधित कुछ दस्तावेज/सूचनाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जो रिकॉर्ड के अनुसार सीबीआई को उपलब्ध करा दी गई हैं।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क विभाग को इकाई के परिसर का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए मामले को स्थगित कर दिया। समिति ने परियोजना अनुभाग को निर्देश दिया कि (i) मामले की आगे की स्थिति और नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में इकाई द्वारा अपने कामकाज के संबंध में किए गए कथित उल्लंघनों का विवरण प्राप्त करें, साथ ही इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को निलंबित/रद्द करने या इकाई के खिलाफ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) FT (D&R) अधिनियम के तहत की जाने वाली किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में सीबीआई की सिफारिश, यदि कोई हो, प्राप्त करें। परियोजना अनुभाग इकाई से उनके परिसर में की गई सीबीआई तलाशी और सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले पर विस्तृत जवाब प्राप्त करेगा और कार्यसूची नोट में उल्लिखित इकाई से अन्य दस्तावेज/स्पष्टीकरण भी मांगेगा।

(8) कुंदन रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

8.1 इकाई के प्रतिनिधि श्री दीपक गुप्ता ने अनुमोदन समिति की बैठक में आभासी रूप से भाग लिया और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि इकाई को 2% मूल्यवर्धन के साथ पूर्णतः मशीनीकृत सादे सोने के आभूषणों का निर्यात ऑर्डर मिला है।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, **पूरी तरह से मशीनीकृत सादे सोने के आभूषण (71731911) (24000 किया/वर्ष)** के विनिर्माण को शामिल करने के इकाई के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। समिति ने इकाई को पूरी तरह से मशीनीकृत आभूषणों के निर्यात आदेशों की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, चूंकि प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि उनके पास प्रस्तावित गतिविधियों के लिए सभी मशीनरी सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद है, अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क को इकाई के कारखाना परिसर का निरीक्षण करने और बैठक के दौरान इकाई के प्रतिनिधि द्वारा दावा किए गए विनिर्माण सेटअप और पूरी तरह से मशीनीकृत सादे सोने के आभूषण बनाने की क्षमता की उपलब्धता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें मशीनरी द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं और इसमें शामिल शारीरिक हस्तक्षेप की सीमा शामिल है। अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क की निरीक्षण रिपोर्ट और इकाई से निर्यात आदेशों की प्रति प्राप्त होने पर अंतिम अनुमोदन पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को और अधिक सशक्त बनाया।

(9) एम डी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से सोने की छड़ के आयात की अनुमति देने का अनुरोध।

9.1 इकाई के महाप्रबंधक श्री अमित मित्तल ने अनुमोदन समिति की बैठक में आभासी रूप से भाग लिया और प्रस्ताव की व्याख्या की।

9.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को मामले में और स्पष्टता के लिए परिपत्र 05/2016 दिनांक 09.02.2016 के पैरा 3.5(ii) के प्रावधानों का

हवाला देते हुए क्षेत्राधिकार वाले एसवीबी प्रभाग को आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को इस कार्यालय द्वारा इस विषय पर आगे की कार्यवाई निर्धारित करने के लिए मामले में न्यायशास्त्र पर युवा पेशेवर-कानूनी से कानूनी राय प्राप्त करने का भी निर्देश दिया।

अनुपूरक कार्यसूची पर निर्णय:

(10) रेयान इम्पेक्स - एनएसईजेड में नई इकाई की स्थापना।

10.1 फर्म के भागीदार श्री संदीप अग्रवाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि वे उन्हें जारी किए गए पिछले स्वीकृति पत्र (LOA) को लागू नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें एसडीएफ के भूतल पर जगह नहीं मिल पाई, जो परियोजना के लिए भारी संयंत्र और मशीनरी की स्थापना हेतु आवश्यक है।

10.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्तावित उत्पादों की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। समिति ने परियोजना अनुभाग को निर्यात आदेश का सत्यापन कराने और मामले की विस्तार से जाँच करने का निर्देश दिया।

(11) कपूर टेक्नोलॉजी - स्वीकृति पत्र (LOA) में भंडारण गतिविधि को शामिल करना और अनुमानों में संशोधन।

11.1 श्री पुनीत कपूर, भागीदार और श्री रमा शंकर शर्मा, इकाई के प्रतिनिधि, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इकाई खाली स्थान का उपयोग करने का इरादा रखती है, इकाई के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया ***“अध्याय 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 92, 94, 95, 97 के अंतर्गत माल का भंडारण (आयात और निर्यात के लिए “निषिद्ध और प्रतिबंधित” माल को छोड़कर)”*** के अधीन होगा। यह अनुमोदन निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा:-


- i. विदेश व्यापार नीति (FTP) के तहत आयात और निर्यात के लिए “निषिद्ध/प्रतिबंधित” उत्पादों की अनुमति नहीं होगी।
- ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा SEZ नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।
- iii. SEZ नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधान के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ही होंगे।
- iv. समय-समय पर जारी DGFT अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।

- v. इकाई को संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित प्राधिकरणों से आयात/निर्यात के लिए सभी आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने होंगे, जिसमें विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की आयात/निर्यात नीति का अनुपालन भी शामिल है।
- vi. इकाई को मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) और भंडारण इकाइयों के संचालन ढांचे के लिए निर्देश संख्या 117 दिनांक 24.09.2024 के तहत जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- vii. इकाई नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क की संतुष्टि के लिए अपने विनिर्माण और भंडारण गतिविधियों के लिए अलग प्रवेश/निकास बनाए रखेगी।

11.3 समिति ने निर्देश दिया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत आईटीसी एचएस कोड की विस्तृत सूची की जाँच भंडारण इकाइयों के लिए गठित क्षेत्रीय स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी और उससे संबंधित सिफारिशों की फाइनल पर जाँच की जाएगी। अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के विकास आयुक्त कार्यालय को प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने और अंतिम अनुमोदन पत्र जारी करने का अधिकार दिया।

इसके अलावा, समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क को निर्देश दिया कि वे भंडारण गतिविधियाँ शुरू करने से पहले, निर्देश संख्या 117 दिनांक 24.09.2024 के अनुसार इकाई द्वारा अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इकाई के परिसर का निरीक्षण करें।

बैठक अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(किरण मोहन मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त